

नाम - राहुल गोयल
प्रश्नपत्र - II (इकाई - 1, 2, 3)
दिनांक - 14-02-2022

83
150

1. संविधान सभा की विसमितियों में से एक सेवा जैसी समिति थी। जिसकी समरुद्धि उषा नायक सेवा थी। 2½
2. अनंदपुर सारिक संचालन वर्ष 1973 में पारित हुआ था।
जिसके तहत पंजाब को एक अव्यावत्त राज्य का दर्जा दिया भानाथा। 2½
3. भारत में जनहित चाचिका के जनक न्यायमूर्ति की एक भागवत की कहानी जाता है। 2½
4. इंडीया पर्स भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता पूर्व के बाणपरिवारों की टी भाने वाली पिंडेज सुविधा थी जिसे 26 वें संविधान संशोधन से समाप्त किया गया। 1½
5. अनुच्छेद 43 में संविधान में 43 वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया जिसके तहत उत्तोगों के प्रक्रिया में छविकारों का भाग लेना शामिल है। 2½
6. NSCN का मुख्य काम नेशनल सोशलिस्ट आंडिल मॉडल सोशलिंग है। यह एक अलगाववादी संगठन है, जो बाह्य बाह्य की मांग कर रहे हैं। 2½
7. राष्ट्रीय इकता परिषद् 1961 में क्षयापित सरकारी अलावकारी निकाय है जिसका महायात्रा भारत का उत्थानमंडली होता है। 2½
8. एनजीओ दफ्तर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग द्वारा स्वैरिज़क संस्थानों को एक यूनिक झाईडी घोषणा पर लाने का ख्यास है। 2½

धूम्रपान की वर्धा की तरह
धूम्रपान की वर्धा की तरह

झार्खंड इतर छोंवी
लगा है है

इटल ट्रिक्सिंग लैंडस किन्ड सबकार के इटल इनोवेशन मिशन (IIM) की पहल है जिसमें हाई कॉल के स्टॉर्म में एक अभिनव मानसिकता का विकास किया जायेगा।

इटल बैच एक डिप्लोमा औरिक विद्यार्थी, गणित तथा संस्कृतिविद हैं।

विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम (एम्स) 1973, विदेशी मुद्रा संसाधनों के संरक्षण व संदर्भों का लिये लाया गया था। इसे 1991 में एम्स के स्वतंत्रताप्रिय कार्रवाया।

जयंती पठनावकु पूर्व सांसद व अधीनी माइला आयोज की स्थगम अध्यक्ष (1992 - 95) थी।

वोटर रेगिस्ट्रेशन पेपर ऑडिट देल (VVPAT) मराठा के उपरै मत की पुष्टि कर मतान संस्थाओं को मजबूत करता है।

धुंगन समिति का भाग गठन 1989 में पंचायती चाप के पर विचार करने हेतु किया। इसमें इन संस्थाओं को संर्वेशानिक दणी देने की शिफारिश की।

पिला उपस्थोकता छोरम का गठन वापस स्वतंत्र व्यवस्थी यह एक छोड़ तक के मामूल कुन सकता है।

1986 में

२ भ्रष्टाचार से संबंधित विषयों को साझा करें-

→ भ्रष्टाचार तथा अदालत के बीच विवाद होते हैं और उनमें साझा कर में असुविधा जाता है।

→ अधीनसंघ -याचाल इसके विषयों को साझा कर में मानहीं है।

→ और विधायिका तथा विधायिका भी विषय के रूप में मानहीं हैं।

→ व्यायालय आपनी अवामनना के लिए दृढ़ देसभाव है

→ आविधान का जनुप्रखेद १९७३ ईसे अधिलेख व्यायालय मानता है।

२ भ्रष्टाचार को सीधी रूपी, १९०८ के मन्त्रित सिविल व्यायालय के समान अधिकारी छाप्ता है, जो निम्न है-

→ किसी गवाह को नामन भेजना व शपथ पर उसकी समीक्षा किसी दस्तावेज को छाप्त तथा प्रस्तुत करने का अधिकार, जैसा।

→ शपथ परों पर साक्षों को लाएं।

→ वे समस्त अधिकारी जो सिविल व्यायालय को छाप्त होते हैं।

→ लोक अदालत में दोनों वाली कार्यकारी को भारतीय दंड संक्रिता, १८६० के तट्टा विधीयित विषयों के मुताबिक अदालती अदालती माना जाएगा।

२ भ्रष्टाचार संकल्प पालिकान की संविधान समा द्वारा मार्च १९५७ को पालिकानी विवासन तथा इकमत के नीति निर्देशक के रूप में पारित किया गया। इसके अनुसार पालिकानी संविधान का मानार इसमाली लोकतंत्र व सिद्धान्त होगा।

३ भ्रष्टाचार १९४६ को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारतीय संविधान समा में बखा जिसे सर्व सम्मति से नवीनीकरण कर लिया गया। इसमें मत्प्रसंत्यों के द्याविक, सामाजिक तथा अन्य वैद्य अधिकारों की व्याप्ति जीव छोड़ी गई।

१५

संपादित के अधिकार को वर्ष 1978 में ५५वे संविधान संबोधन द्वारा मॉलिकु अधिकार से विचित्र जाधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। ५५वे संविधान संबोधन मात्र से पहले यह अनुच्छेद -३। के अन्तर्गत एक मॉलिकु अधिकार पा, परंतु इस संबोधन के बाद इस अधिकार के अनुच्छेद ३००(ए) के अन्तर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। जब यह मॉलिकु अधिकार या तब यह देश के विकास (भूमि-आधिकारण) में बायजु था।

१६

देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाते हैं जिन्हे जाचार संहिता कहते हैं। लोकसभा / विधानसभा चुनाव के दोस्रे इन नियमों

३७

ए पालन करना सख्त, नेता और राजनीतिक फलों की विभिन्नता होती है। यह चुनाव की तीव्रता घोषित होने से चुनाव परिणाम जाने तक लंगू रहती है। इस पालन सरकार और लोकसभा नीति नहीं ज्ञा सकती। उसे और यह क्रौंडली बनाने हेतु चुनाव आयोग ने C-VIGIL एप्लोन किया।

१७

स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। हिंद महासागर सेत्र में संभावित चीनी डराओं से संबंधित एक भू-राजनीतिक सिफारिश है, जो चीनी मुख्य झूमि से मुडान पार्ट तक ज़ोला दूसा है। वर्ष २०१७ में चीन ने जिबृती में अपनी पहली विदेशी बी-य संविधा शुरू की और यह अपने महत्वकाङ्क्षी बल्ट एच बोट उत्तरीय एशियाई के हिस्से के क्षेत्र में श्रीलंका, बांगलादेश, अफ्रीका के पूर्वी तट आदि देशों में बुनियादी ढांचा में निवेश कर रहा है। ये नातिविद्यायां चीन की भारत को धेरने से संबंधित हैं, जिसे "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल" कहा जाता है।

Q. ७ दाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में पंच न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय लिया है कि वर्ष 1992 में नॉ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा आवस्यक की 50% सीमा (इडा साइनी निर्णय) के निर्णय को बाद में हुए संविधानिक संशोधनों द्वाया सामानिक अरिप्तनी के कारण संभालित किया जाना चाहिए। इई राज्यों जैसे महाराष्ट्र में भराडा जावलण, म.ह. में ओवीसी जारकण, शपल्यान आदि राज्यों में जारकण की सीमा 50% की सीमा का उल्लंघन कर रही है 103 वां संविधान संशोधन में (EWS) की 50% की सीमा का उल्लंघन हुआ है।

Q. ८ भारतीय संविधान में 73 के संविधान संशोधन, 1992 पंचायती राज संस्थाओं की संविधानिक दलों द्वाया गया और इसमें महिलाओं 1/3 आवश्यक प्रावधान लिया गया, इई राज्यों जैसे बिहार, म.ह. आदि में यह सीमा 50% है। इससे महिलाओं का जातीनीतिक सशक्तिकरण तो हुआ है परन्तु अपेक्षानुसार वही क्षमिता ग्रामीण सेत्रों में महिलाएँ अक्षिलित, आशिकारों के प्रति गैर-प्रावश्यक, वेरोलगार, आशिक बन्ध से छुप जाते हैं ताकि इस महिलाओं जावास्तरिक अशक्तिकरण शिक्षा, प्रावश्यक आशिक बन्ध से अग्रसरित बना कर किया जा सकता है।

Q. ९ भारत में निर्णय छुकिया में भोपल मीडिया के माध्यम से नागरिकों को जोड़ने द्या गयनसे बुझाव लेने की दृष्टिकोण से यह सत्य है जो एक अच्छा संकेत है। भारत में लगभग 40 करोड़ भोपल मीडिया व्युपर है। उत्तराखण में भरकार कड़ मामले जैसे पहुंच अपार्ट, बजट आदि के संबंध में नागरिकों बुझाव मौजूद है। भारत में लगभग 62 करोड़ ड्टर्नेट उपयोग करते हैं। सरकार नामीडा होमो में बाज़ेर पहुंचाकर इसे और बढ़ाकर निर्णय छुकिया आशिक नागरिकों द्वाया शामिल कर निर्णय को और व्यायक बनाया जा सकता है।

२५

स्वयं सहायता समूह ऐसे समूह हैं जो स्वेच्छा से
जिसी विक्रोष पार्टी के लिया बनाया गया एक छोटा
बन्दूड है। इसमें 10-20 सदस्य हो सकते हैं।
ये सदस्य बच्चों तक व सशक्तिशाली कामों
इसका आधिक सेष में आगीलारी करते हैं।
इन्होंने उपर्युक्त उद्दमों की संवापना, लघु वस्तुओं को बादाम देना,
गरीबी उन्मूलन, जातिगति विषमता दूर करना, मानवाधिकारों
का अभियान आदि होते हैं।

(3)

3/4

बदलती परिविधियों और प्रक्रियों के साथ स्पष्ट को समायोजित करने के लिए भारत द्वा संविधान इसके अधीन आवश्यक शुल्क है। संविधान द्वा भाग-२० में अनुच्छेद ३६९ में संशोधन की हक्किया दी गई है, जिसकी आलोचना विषय आयोजन पर कर बाज़ते हैं -

- संविधान में संशोधन हक्किया शुल्क करने की अकित संसद के पास है। वाच्य विधायिका एक मामले को छोड़कर (वाच्य विधायक परिवदों के निर्माण के समाप्ति द्वा संसद से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित करना) संविधान में संशोधन के लिए कोई विधेयक या प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकती है।
- ~~संविधान के उम्मीद भौगों में अलेले संसद डारा यहाँ किशोर बहुमत से या साधारण बहुमत से लड़ाया जा सकता है। केवल कुछ दी मामले मामले में वाच्यों की समर्थन की जाती है तो भी जारी रखनी~~
- संविधान द्वा समय सीमा के निर्धारित नहीं करता है। पिंपाड़ी भीतर वाच्य विधायिकों द्वा उन्हें प्रस्ताव किये गये संबोधन की पुष्टि करना चाहिए या अवश्यक।
- संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पारित होने पर गतिरोध करने की स्थिति में संसद के दोनों सदनों की सम्पूर्ण बैठक आयोगित करने पर कोइ प्रावधान नहीं है।
- संशोधन की हक्किया एक विधायी हक्किया के समान है। किशोर बहुमत की छोड़कर, संविधान संशोधन विधेयकों को संसद डारा समान्य सिविलियों के नमस्कर इसे समान विधेयकों की तरह ही पारित करना होता है।

(8)

संशोधन हक्किया से संबंधित प्रावधान नहीं ही नश्वर है। इसलिये वे मामलों द्वा व्यापालिका तक ले लेने की व्यापक गुणाङ्क विवाद छहते हैं। इन दोनों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह हक्किया सरल और आसान सावित होता है और समाज की बदलती जरूरतों के परिवर्तनियों को पुरा करने में सफल रहता है।

3 B

न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा जायपालिका आदेशों की सर्वेत्यानिकृत शी जोध की न्यायपालिका की शक्ति है जो कहल और गव्य करकारों पर जागू दोती है। परीसणोपरांत यदि पाता गया कि उनसे संविधान का इलंघन टॉल है तो उन्हें जरूर, असंरेखनिक तथा अमान्य घोषित किया जा खलता है जोक्य सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती।

सर्वोच्च न्यायालय ने विजिन मुकदमों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया, बदाइरण के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंरेखनिक घोषित किया।

तब २०१५ में न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति नियुक्ति प्रक्रिया को व्यापक तथा समझौते के लिए तथा न्यायहण्ठी की शुल्कता में सुधार लोग देतु संबंध तक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग करने के लिये ७७ के वा संविधान संशोधन अधिनियम २०१५ परिवर्त किया।

इस आयोग का उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में जायपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को बराबर का अधिकार देना है। उससे न्यायपालिका में जायपालिका के अस्तसेप का मार्ग छुपस्त हो गया जिससे न्याय व्यवस्था इमांडित दो सकृती शी तथा यह अनुदेश - ५० में तर्हीत जायपालिका के न्यायपालिका के तथाकरण की आवश्यकता के अनुच्छेद नहीं है। इसमें न्यायपालिका जायपालिका के अल्लेख में जा सकती है।

(८) परिणाम स्वरूप ५ जनवरी २०१५ को अर्वोच्च न्यायालय में पायिल न्यायिका के में इस कानून को निरक्षत करने की मांग की गई। न्यायमूर्ति जगदीश केंद्र की अध्यभूत में गठित संविधानिक चीड़ ने मंजूरीकर २०१५ को एवियालिक पिंडीय देने दूर उप ७७ के वा संविधान संशोधन को असंरेखनिक घोषित कर किया तथा जौलेजियम व्यवस्था को पुनः बदल कर विद्या गया।

③ (c)

आरतीय समाज अपनी छहति और रचना में आधिक विविध है। इसलिए भारत में मतदान व्यवहार को उभावित करने वाले अनेक जटिल हैं। जैसे जाति व धर्म सबैष्टभुवा हैं-
जाति - जाति मतवादाओं के व्यवहार से उभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण है। जातियों का बोधनीति करना तथा बाजनीति में जातिवाद आरतीय बाजनीति की महत्वपूर्ण विशेषता है। रजनी ओपरी के अनुसार "आरतीय बाजनीतिक प्राप्तिवादी है तथा जाति बाजनीतिक है।" इसका उदाहरण वर्तमान में उत्तर प्रदेश की ५०३ विधानसभा की ओर पुनाव में देखा जा सकता है-

१८

यही कारण है कि यहाँ आजपा और साधा दोनों ही दो पलों से गहराएन पर जोर देती है। यहाँ पहले नंबर पर ओपरीही है जो ५२ से ५५ कीसदी है, दलित २।-२२% सवर्ण १८-२०% है। अपरी परिया अपना भेनीफेल्स इन्हीं भारिगढ़ व्यापीकरणों के आदान पर कहती है। युपी में अनुमूलित जाति व जनजाति की ४६ बीहों आवश्यक हैं। जिन्हें कोई पार्टी गवाना नहीं चाहती। अम्बार वस्त्र परिवर्तन-ब्राह्मण को एक साथ लाने के बाद पर पुनाव लड़ती है।

धर्म → यह एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है जो मत्यन व्यवहार को उभावित करता, डेंक सांख्यायिक पार्टीयों के होने से उभरता ही बो बाजनीतिकरण दुश्मा है। उसे वर्तमान UP-पुनाव में दीनेपी वाम अदिर, काशी तिर्थ नाथ औरिडोर के मुद्दे पर इंट की आवाजाओं को अपने पक्ष में लेना चाहती है तो वही वस्त्रा ने ही मात्रा में मुस्लिम उम्मीदवार के पुनावी मेंतन में उतारे हैं। परिचयी उत्तर प्रदेश मुस्लिम बहुल शेष है यहाँ ५ जिलों में तथा गुरुगिलम ५५ कीसदी के आवास हैं। यहाँ मात्रा AIMIM का उभाव अधिक है। उझ. में २०% के आवास मुस्लिम बोर्ड हैं।

